



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं 1647]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2013/आषाढ़, 21, 1935

No. 1647]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2013/ASADHA 21, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2013

का०आ० 2145(अ) — केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के भारत के राजपत्र असाधारण भाग (ii) खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं० का०आ० 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

अनुसूची के क्रम सं० 85 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
85	27	गुजरात राज्य में पोरबंदर से प्रारंभ होकर बामनबोर, मोर्वा, समग्रियाली, राधनपुर, पालनपुर को जोड़ने वाला राजमार्ग, राजस्थान राज्य में पिंडवाड़ा, उदयपुर, मांगरवाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारन, मध्य प्रदेश राज्य में शिवपुरी, गंज, उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, बिहार राज्य में गोपालगंज, पिपरा कोठी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फोरबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, पश्चिम बंगाल राज्य में डलकोला, इस्लामपुर, गोशपुकुर, गोलतुली, फुलबारी, जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, धुपगारी, फालाकाटा, सोनापुर, सलसाबाड़ी असम राज्य में बोगईगांव, बिजनी, पताचारकुची, नलबाड़ी, दिसपुर, नगांव, लुमडिंग, हाफलांग और सिलचर के निकट रारा-37 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा० सं० एनएच-14012/9/2003-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का०आ० 1229(अ) तारीख 16 मई, 2013 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2013

**S.O. 2145(E)**—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial numbers 85 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
“85	27	The highway starting from Porbandar in the State of Gujarat connecting Bamanbore, Morvi, Samakhiali, Radhanpur, Palanpur in the State of Gujarat, Pindwara Udaipur, Mangarwar, Chittaurgarh, Kota, Baran in the State of Rajasthan, Shivpuri, Ganj in the State of Madhya Pradesh, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Faizabad, Gorakhpur in Uttar Pradesh, Gopalganj, Pipra Kothi, Muzaffarpur, Darbhanga, Forbesganj, Araria, Purnia in the State of Bihar, Dalkola, Islampur, Ghoshpukur, Goaltuli, Fulbari, Jalpaiguri, Mainaguri, Dhupguri, Falkata, Sonapur, Salsabari in the State of West Bengal, Bongaigaon, Bijini, Patacharkuchi, Nalbari, Dishpur, Nagaon, Lumding, Haflong and terminating at its junction with NH-37 near Silchar in the State of Assam.”

[F. No. NH-14012/9/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, D. Decy.

**Note :—** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated the 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1229(E) dated the 16th May, 2013.